प्रकरण संख्या 16/18 RCMS ID-2018/00003 ता0रजू 16.07.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

श्रीमती पूरणबाई पुत्री सिरमोहर पत्नि जगमोहन उम्र 56 साल जाति गुर्जर निवासी खेडियानकापुरा (रोंडकला) तहसील करौली, जिला करौली राज. — अपीलाण्ट

बनाम

1. हरवेजी पत्नी शिवसिंह उम्र 38 साल जाति गुर्जर निवासी खेडियानकापुरा (रोंडकला) तहसील करौली, जिला करौली राज.
2. तहसीलदार, तहसील करौली जिला करौली (राज0) — रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 06.02.2018 न्यायालय तहसीलदार करौली मुकदमा नंबर 01/2018 उनवानी पूरणबाई बनाम हरवेजी वगै., जिसकी रूह से नामांतरकरण संख्या 234 दिनांक 05.07.2014, नामांतरकरण संख्या 237 दिनांक 22.04.2017 स्वीकृत किये गये हैं, के विरुद्ध तहत धारा 75 एल.आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार करौली द्वारा मुकदमा संख्या 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2018, जिसके द्वारा ग्राम चकरोड, पटवार हल्का रोंडकला, तहसील करौली के नामांतरकरण संख्या 234 दिनांक 05.07. 2014 व नामांतरकरण संख्या 237 दिनांक 22.04.2017 स्वीकृत किये गये हैं, के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली का आदेश निर्णय दिनांक 26.02.2018 विधि विरूद्ध, आरविट्रेरी, रिकार्ड के विपरीत, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट, खिलाफे अपीलाण्ट, दस्तावेजी रिकार्ड के विपरीत है और अपास्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 06.02.2018 पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को विधिवत् कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया है ना ही नोटिस की विधिवत् प्रोपर पते पर तामील करायी गई है और जैर अपील निर्णय अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का नोटिस व समुचित अवसर दिये रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 से साज कर एक पक्षीय रूप से विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय क सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है और पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। विवादित भूमि खसरा नं. 209 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा बाके ग्राम चकरोड तहसील करौली अपीलाण्ट के पितामह रामदेव के समय की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा खातेदारी है। वयनामा दिनांक 22.04.2014 हकहकूक अपीलाण्ट पर प्रभावहीन व शून्य एवं बेअसर है। विवादित भूमि के संबंध में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद माननीय सिविल न्यायालय करौली व राजस्व न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली में विचाराधीन है। फिर भी

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय दिनांक 06.02.2018 विधि विरुद्ध रूप से पारित किया है। जैर अपील निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 09.07.2018 को अपीलाण्ट द्वारा तहसील कार्यालय करौली में प्रकरण की जानकारी करने पर तहसीलदार करौली द्वारा प्रकरण का दिनांक 06.02.2018 को निर्णय कर देने की कहने पर एवं अपीलाण्ट द्वारा उसी दिन नकल आवेदन प्रस्तुत कराकर दिनांक 13.07.2018 को नकल निर्णय दिनांक 06.02.2018 प्राप्त होने पर हुई है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को निर्णय दिनांक 06.02.2018 की जानकारी नहीं रही है। अपीलाण्ट अनपढ़ औरत जात है। गरीब काश्तकार है। दिनांक 06.02.2018 से दिनांक 13.07.2018 तक का समय जानकारी व ज्ञान के अभाव में क्षम्य है जिसके लिए धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 का बहस में कथन है कि रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट के पिता के जीवनकाल में ही उक्त आराजी क्रय कर ली गई थी। माननीय उपखण्ड अधिकारी करौली से निर्णय प्राप्त होने पर उभय पक्षकारान को सुना जाकर नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है। कार्यवाही विधिसम्मत् है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 ने बहस करने से इनकार किया। साथ ही पत्रावली पर No Instruction किया लेकिन वकील रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 को जारी किया गया कोई रजिस्टर्ड नोटिस, व्यक्तिगत तामील आदि पेश नहीं किया गया। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 को बार–बार आवाज लगवाई गई लेकिन ना तो रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुई और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। इसलिये रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 को जानबूझकर उपस्थित नहीं आना माना जाकर एकपक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। विवादित आराजी अपीलाण्ट के पितामह के समय की पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसे उसके पिता ने अपने जीवनकाल में रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 को विक्रय कर दिया था। लेकिन पुश्तैनी सम्पत्ति में वारिसान का हिस्सा रहता है जिसे वारिसान की सहमति के बिना विक्रय नहीं किया जा सकता है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को उनका अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 13:02:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: